उन्नीस (क)पंजी. व 56

जा0/1664
20/8/08

संशोधित नियमावली

पंजीयन क्रमांक 2006
पंजीयन दिनांक 15/9/2000
संशोधन दिनांक 8/8/07
फाईलिंग का दिनांक
सहायक पंजीयक

1. समिति का नाम -- गौमुखी सेवाधाम
2. समिति का कार्यालय -- कार्यालय, गौमुखी सेवाधाम
   दवे ब्रदर्स के पास ट्रांसपोर्ट नगर पी.एच.रोड कोरबा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र कोरबा जिला (छ.ग.)
4. संस्था का उद्देश्य--

अपने कार्य क्षेत्र मे आदिवासी व वनवासियों के सर्वांगीण उन्नति हेतु कार्य करना।

अथवा--

अ. चिकित्सा के अभावग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा प्रदान करना।

ब. आध्यात्मिक उन्नति हेतु आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना करना तथा इसके लिये आवश्यक संसाधन जुटाना।

स. शिक्षा के प्रसार -- प्रचार हेतु शिक्षा केंद्र संचालित करने की कार्यवाही करना।

द. समाज का आर्थिक स्तर उंचा उठाने सरकारी योजनाओं की क्षेत्र में जानकारी देना, तथा शासकीय एजेंसी व क्षेत्रों के लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना।

ई. गौवंश के संरक्षण--संवर्धन हेतु काम करना।

5. सदस्यता:--

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:--

अ. **संस्थापक सदस्य--** समिति के निर्माणकर्ता संस्थापक सदस्य होंगे।

ब **संरक्षक सदस्य --** संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 11000.00 रू. या अधिक एकमुश्त या दो किश्तो मे प्रदान कर सदस्यता हेतु आवेदन करेगा, प्रबंध कार्यकारिणी की अनुमति से वह संरक्षक सदस्य होगा।

स. **आजीवन सदस्य--** जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 1000.00 रूपये देगा वह सदस्यता हेतु आवेदन कर कार्यकारिणी की अनुमति से आजीवन सदस्य बन सकता है।

द. **साधारण सदस्य:--** जो व्यक्ति 10/-- प्रतिमाह अथवा 120 रू. प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप मे देगा वह सदस्यता हेतु आवेदन कर कार्यकारिणी समिति की अनुमति से साधारण सदस्य बन सकता है। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है, जो साधारण सदस्य

अध्यक्ष, गौमुखी सेवा धाम - देवपहरी, जिला - कोरबा (छ. ग.)	सचिव, गौमुखी सेवा धाम - देवपहरी, जिला - कोरबा (छ. ग.)	कोषाध्यक्ष, गौमुखी सेवा धाम - देवपहरी, जिला - कोरबा (छ. ग.)

बिना संतोषजनक कारणों के छ:माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये आवेदन पत्र देने पर तथा बकाया चंदा की राशि देने पर पुनः प्रबंधकारिणी की अनुमति से सदस्य बनाया जा सकता है।

ई. **सम्माननीय सदस्य** — संस्था की प्रबंध कारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकता है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति—

जो व्यक्ति समिति का सदस्य बनना चाहता है वह निश्चित राशि जमा कर लिखित रूप में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र प्रबंध कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत होगा। प्रबंध कार्यकारिणी के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर अनुमति होने पर ही वह सदस्य बनाया जायेगा।

7. सदस्यों की योग्यता :—

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:—

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. सदस्यता की समाप्तिः—

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संस्था को दिये चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर, जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

9. कार्यालयः—

संस्था कार्यालय में पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरा दर्ज किये जायेंगे:

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

अध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

सचिव,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

कोषाध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

पंजीयन क्रमांक 3006

10. साधारण सभा:–

अ. साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य सम्मिलित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का दिनांक तथा बैठक का स्थान वर्तमान प्रबंध कारिणी निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। बैठक की कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक के 3 माह के भीतर बुलाई जायेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन निर्धारित समय में नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंध कारिणी सभा:–प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक की कार्यसूची तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक में कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की शर्त नहीं होगी।

स. विशेष:–यदि साधारण सभा के कम से कम कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उसके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जायेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:–

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख. संस्था की स्थायी निधि एवं सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

ङ. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

छ. बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंध कारिणी का गठन:– ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य होंगे। नियम 5 (अ,ब,स,द) में दर्शाये गये सदस्य जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो अपने सदस्यता श्रेणी में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:–

1. अध्यक्ष

अध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

सचिव,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

कोषाध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

2. सचिव

3. कोषाध्यक्ष एवं 8 कार्यकारिणी सदस्य।

उपरोक्त 11 पदों से युक्त प्रबंध कारिणी होगी जिसमें संस्थापक सदस्य से सात संरक्षक सदस्य से दो आजीवन सदस्य से एक तथा साधारण सदस्य से एक सदस्य होना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष, सचिव,कोषाध्यक्ष का चुनाव संस्थापक सदस्य से संस्थापक सदस्य के मतों द्वारा ही होना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी के शेष 8 में से उपाध्यक्ष, सहसचिव,संगठन सचिव को दायित्व का पदभार अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष मनोनयन द्वारा प्रदान करेंगे।

12 अ–

प्रबंधकारिणी की बैठक में अध्यक्ष,सचिव अथवा कोषाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु किसी अन्य श्रेणी के सदस्य के खडे होने का प्रस्ताव आने पर तथा उक्त प्रस्ताव पर प्रबंधकारिणी के सम्पूर्ण सदस्यो की सहमति होने पर ही प्रस्तावित सदस्य को अध्यक्ष,सचिव अथवा कोषाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु खडे होने की अनुमति प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदान की जा सकती है।

12 ब–

त्याग पत्र अथवा मृत्यु के कारण वर्तमान संस्थापक सदस्यो की संख्या, स्थायी संस्थापक संख्या (पंद्रह) के 3/4 से कम होने पर प्रबंधकारिणी को अन्य श्रेणी से बने अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष को कमानुसार वोट डालने का अधिकार भी प्रदान कर संस्थापक वोटो की संख्या (स्थायी संस्थापक संख्या) पूर्ण करना होगा किन्तु किसी कारणवश फिर भी यह संख्या पूर्ण नही होती है तब साधारण सभा में प्रस्ताव रख कर अन्य सदस्यों को वोट देने का अधिकार प्रदान कर वोटो की संख्या पूर्ण की जावेगी।

13. प्रबंध समिति का कार्यकालः– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथोचित कारण होने पर उस समय तक जबकि नयी प्रबंध कारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा में कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः–

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष के आय–व्यय की लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति व उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाली कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारी शिक्षकों आदि को नियुक्त करना।

ई. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपी जाय।

फ. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी।

अध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

सचिव,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

कोषाध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित अंतरित नहीं की जावेगी।

ज विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष सभा में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 के मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार:--

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा सचिव द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवा देगा। विचारार्थ विषयों में मत विभाजन की स्थिति में पक्ष--विपक्ष के बराबर मत होने पर अध्यक्ष अपने मत का उपयोग कर निर्णय करेगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार:--

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव के अधिकार:

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी बैठक समय--समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति की आय--व्यय का लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उसका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में 5000.00 रू. खर्च करने का अधिकार होगा।

18. सहसचिव के अधिकार –

सचिव के अनुपस्थिति में सहसचिव, सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार:--

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

21. बैंक खाता:--

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 10000.00 रहेंगे।

अध्यक्ष, गौमुखी सेवा धाम -- देवपहरी, जिला -- कोरबा (छ. ग.)	सचिव, गौमुखी सेवा धाम -- देवपहरी, जिला -- कोरबा (छ. ग.)	कोषाध्यक्ष, गौमुखी सेवा धाम -- देवपहरी, जिला -- कोरबा (छ. ग.)

22. पंजीयक को भेजी जानेवाली जानकारीः–

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची मय शुल्क फाइल की जायेगी, तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था का परीक्षित लेखा मय शुल्क भेजी जायेगी।

23. संशोधनः–

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

24. विघटनः

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/4 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को समिति द्वारा सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की जावेगी।

25. सम्पत्तिः–

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

26. बैंक खाताः–

संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्टआफिस में खाता खोला जायेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

27. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना–

संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

28. विवादः–

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं में विवाद अथवा प्रबंध समिति में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

प्रमाणित प्रति ... 280 चालान क्र. 7720818 ... 7/8/08 द्वारा लिया गया है ... पंजीयन क्र. 3006 दिनांक 15/9/2000 ... संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ...

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थायें
बिलासपुर संभाग
बिलासपुर

अध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

सचिव,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

कोषाध्यक्ष,
गौमुखी सेवा धाम – देवपहरी,
जिला – कोरबा (छ. ग.)